

23.02.22

वकुलाभ फरीकान उपर

आवेदन आवेदन

कथन कि कि भागवत भाग
की मूल्य है चुकी है।

इसलिए उनके विरुद्ध

पाहा गया अनुवाक्य

स्वतः ही समाप्त हो गया

है। इसलिए अतः प्रा.पदा/

आवेदन-पत्र को खारिज

कर दिया जावे। अतः

आवेदन पत्र 039 R2(A)

CPC खारिज किया गया

है। पत्रावली उज नम्बर

से कम होकर प्रा.पदा

आवेदन निषेधाज्ञा सं.

24/2013 उमकानी विनारायण

N/S चिरेजी लाल भार्गव निवास

फिराक 21.2.14 के संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

1/2/22 पर खारिज
कर दिया जावे
Saini